ORDER SHEE

THE COURT

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

10/02/2017 04:45 To 05:00 P.M आरोपी / अपीलार्थी बृजभान उर्फ घोड़ा द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी.

जे.एम.एफ.सी. श्री पंकज शर्मा के न्यायालय का प्रकरण कमांक–753 / 2008 ई.फौ. प्राप्त ।

प्रकरण आरोपी / अपीलार्थी बृजभान उर्फ घोड़ा के जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है ।

अतः धारा–439 द.प्र.सं. के नियमित आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।

आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत भागीरथ का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी / अपीलार्थी बृजभान उर्फ घोड़ा का कहना है कि श्री पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में संचालित प्रकरण में आवेदक के पुत्र की तबीयत खराब हो गयी थी और वह खत्म हो गया था एवं अन्य अपराध में मुरैना जेल में बंदी था इस कारण इसिलये श्रीमान् न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत जब्त की जाकर स्थाई वारण्ट जारी किया गया था। और आवेदक को स्थाई वारण्ट जारी किया गया। आवेदक को प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किया गया है। आवेदक के स्थानीय निवासी होने से उसके फरार होने की संभावना नहीं है एवं वह न्यायिक निरोध में है । उसके अधिक समय तक जेल में बंद रहा तो उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी । वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा । अतः उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया ।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है मामला अधिक पुराना है, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

संलग्न मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि थाना मालनपुर के अप.क. 73/2008 धारा–457, 380, 336 भादवि. के अपराध के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।

प्रकरण के अवलोकन एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ ह गोड़ा की ओर सर्वप्रथम हाजिरी माफी आवेदनपत्र दिनांक—12/07/2011 को इस आशय का पेश किया गया कि वह शिवपुरी जेल में बंद है, इसलिये उसे प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किया जावे। जिसपर से आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा की उपस्थिति के लिए प्रोडक्शन वारण्ट जारी किया गया। अनेक बार प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने के पश्चात और करीब तीन साल से अधिक प्रतीक्षा के बाद भी आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा शिवपुरी जेल से पेश नहीं हुआ।

दिनांक—17/12/2015 की आदेशपत्रिका में स्पष्ट उल्लेख है कि दि0—17/12/2015 को पीठासीन अधिकारी द्वारा अधीक्षक जिला जेल शिवपुरी से दूरभाष कमांक—9907452419 पर चर्चा की गयी जिसमें जिला जेल शिवपुरी में आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा नाम का कोई कैदी निरूद्ध नहीं होना बताया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्परतापूर्वक वाटसअप पर पत्र जारी किया गया एवं अधीक्षक जिला जेल शिवपुरी द्वारा उक्तानुसार जानकारी डाक से प्रेषित करना व्यक्त किया और प्रकरण दि0—23/12/2015 को रखा गया।

दि0-23/12/2015 को जिला जेल शिवपुरी से पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि उक्त जेल में आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा पुत्र रामचरण गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर नाम का कोई बंदी निरूद्ध नहीं है । अतः उसी पेशी पर आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा के विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी करते हुए प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड किया गया।

दि0—10/01/2017 को थाना मालनपुर पुलिस ने आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा का स्थाई गिरफतारी वारण्ट पेश करते हुए उसके केन्द्रीय जेल ग्वालियर में निरूद्ध होना बताते हुए प्रोडक्शन वारण्ट से तलब करना व्यक्त किया, जिसपर से प्रोडक्शन वारण्ट जारी किया । जिसके पालन में दि0—30/01/2017 को आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा को केन्द्रीय जेल ग्वालियर से पेश किया गया। एवं उक्त प्रकरण में वांछनीय होने से न्यायिक अभिरक्षा में लेते

हुए जेल वारण्ट बनाया गया।

आरोपी / आवेदक बुजभान उर्फ घोड़ा के अनुपस्थित रहने से तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रकरण की कार्यवाही बिलंवित रही है । आरोपी/आवेदक बुजभान उर्फ घोडा के विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी किया गया है। आरोपी / आवेदक बुजभान उर्फ घोड़ा न तो शिवपुरी जेल में निरूद्ध होना पाया गया, ना ही उसने स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं के बारे में सचित किया। प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना होकर पुराने प्रकरणों की सूची में शामिल है एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना है । यदि आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा को पुनः जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुनः अनुपस्थित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । आरोपी / आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा द्वारा अपनी अनुपस्थिति का जो आधार लिया है, उसके संबंध में कोई भी आवश्यक प्रमाण पेश नहीं किया है, जिससे उसका उक्त आधार मात्र औपचारिक प्रकृति का होना प्रतीत होता है ।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा को जमानत का लाभ दिया जाना गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बगैर उचित प्रतीत नहीं होता है, बाद विचार आरोपी/आवेदक बृजभान उर्फ घोड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ मूल आपराधिक संबंधित जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में वापिस किया जावे ।

इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

> (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड